242

संख्याः 206 /XXVI/तीन(4)/2011 T.C.-1

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 27 अप्रैल, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012, पत्र सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च 2012 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोजनागत पक्ष में ₹ शून्य एवं आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में व्यय हेतु संलग्नक् में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि ₹ 2270 हजार (₹ बाईस लाख सत्तर हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि ₹ 2270 हजार (₹ बाईस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार ही व्यय की जायेगी एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2012–13 की नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

3– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा। मितव्ययता के सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाए तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

5– संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

6– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फ्रेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक "3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 206 /XXVI/ तीन(4)/2011 T.C.-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त विभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्याः 206 /XXVI/ तीन(4)/2011 T.C.-1 दिनांकः 27 अप्रैल, 2012
का संलग्नक।

(धनराशि हजार ₹ में)

अनुदान सं0–7 लेखाशीर्षक	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–बीस सूत्री कार्यकम कियान्वयन अधिष्ठान		
01–वेतन	–	667
02–मजदूरी	–	25
03–मंहगाई भत्ता	–	453
04–यात्रा व्यय	–	33
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	–	13
06–अन्य भत्ते	–	87
07–मानदेय	–	50
08–कार्यालय व्यय	–	42
09–विद्युत देय	–	17
10–जलकर/जल प्रभार	–	10
11–लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई	–	27
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	–	20
13–टेलीफोन व्यय	–	50
15–गाड़ियों का अनुश्रवण और पेट्रोल आदि की खरीद	–	83
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	–	400
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	–	107
18–प्रकाशन	–	17
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	–	17
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	–	21
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	–	17
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	33
42–अन्य व्यय	–	8
45–अवकाश यात्रा व्यय	–	23
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	–	17
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	–	33
योग	0.00	**2270**
महायोग=आयोजनागत+आयोजनेत्तर (रूबाईस लाख सत्तर हजार मात्र)	**0+2270 = 2270**	

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।